

3

S.No. 16(9)

21
~~23~~

राजस्थान सरकार
कार्मिक-5 विभाग

सं. 988/कार्मिक-5/90

जयपुर, दिनांक 20.11.93

-: आदेश :-

====

विषय- राजस्थान सरकार के अधीन के पदों और सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण।

राज्य सरकार के कार्मिक विभाग की अधिसूचना प. 988/का. 5/90 दिनांक 28.9.93 द्वारा राजस्थान सरकार के अधीन के पदों और सेवाओं में सीधी भर्तियों के जरिये भरे जाने वाली रिक्तियों का 21% पिछड़े वर्गों का प्रतिशत अर्थात् दिनांक 1.9.93 के राज. राजपत्र विशेषांक में प्रकाशित समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना संख्या प. 11/25/आरएण्डडी/एडडब्ल्यूडी/8863। दिनांक 27.8.93 द्वारा अधिसूचना पिछड़े वर्गों की सूचि में सम्मिलित की गई जातियों और वर्गों के लिये आरक्षण के लिये प्रावधान किया गया था।

कार्मिक-5 विभाग की समसंख्या अधिसूचना दिनांक 28.9.93 की क्रियान्विति, समसंख्या अधिसूचना दि. 4.10.93 द्वारा स्थगित की गई थी। निदेशानुसार इस स्थान आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से,

[Signature]

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय
- 2- समस्त विशिष्ट सहायक सलाहकार महामहिम राज्यपाल महोदय सचिव।
- 3- समस्त प्रमुख सचिव/शासन सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रबन्धक संचालक/राज्य संचालक/समस्त स्थायक शासी संस्था/बोर्ड/निगम आदि को प्रेषित कर निवेदन है कि आपके अधीनस्थ विभिन्न नियुक्तिकर्ता अधिकाधिक को भी इससे अवगत कराने का कष्ट करें।
- 4- निजि सचिव, शासन सचिव, कार्मिक
- 5- सहायक सचिव, मंत्रीमण्डल सचिवालय को महामहिम राज्यपाल महोदय के सलाहकार परिषद की आज्ञा सं. 144/93 दि. 16.9.93 एवं विभाग की समसंख्या अधिसूचना दि. 30.9.93 के सन्दर्भ में है।

[Signature]

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि-निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- सचिव, राज. लोक सेवा आयोग, जयपुर।
- 2- सचिव, राज. विधान सभा, जयपुर।
- 3- सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
- 4- निबन्धक राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
- 5- निबन्धक राज. सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।

[Signature]

उप शासन सचिव